

19 $\frac{12}{24}$

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी। प्रार्थी को आज्ञा
लगाई गयी। बार-बार आज्ञा लगाने के बावजूद
भी वकील प्रार्थी / प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित
नहीं होने पर प्रार्थी का आवेदन आम दफ्तरी
आम पैरवी में स्वारिज किया जाता है। पत्रावली
फॉसिल शुमार होकर नम्बर से कम होकर
स्वारिज दफतर हो। Annex.